कार्यालय छावनी परिषद, महू
(रक्षा मंत्रालय)
महू छावनी, जिला इन्दौर (म.प्र.) पिन : 453441
फोन : 07324-273226 फेक्स : 07324-229012

पत्र कमांक CBM/1821/Estt/ 873 दिनांक 21 .09.2016

छावनी परिषद् महू के उपयंत्री के पद हेतु ऑनलाईन परीक्षा की सूचना

संदर्भः– रोजगार समाचार के दिनांक 19 से 25 मार्च, 2016 के अंक में प्रकाशित सूचना।

1 समस्त उपयंत्री के पद हेतु पाये गये योग्य अभ्यार्थियों को इस सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपयंत्री के पद हेतु ऑनलाईन परीक्षा का **आयोजन दिनांक 01.10.2016 को श्री गोविंदराम सेकसरियॉ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं विज्ञान, के कम्प्यूटर सेंटर (स्पोर्टस काम्पलेक्स के नीचे)** 23, पार्क रोड, इन्दौर में प्रातः 11 से 01 बजे तक किया जावेगा।

2 इस हेतु प्रवेश पत्र अलग से जारी किये गये है।

3 आपसे अनुरोध है कि उक्त दिनांक को समय से 01 घण्टा पूर्व अपनी उपस्थिति दर्ज करावें। प्रवेश के तुरंत पश्चात आपसे आपके समस्त शैक्षणिक योग्यता व कार्यानुभव संबंधी प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त किये जावेगे। यदि आपके शैक्षणिक व कार्यानुभव दस्तावेज क्षेत्रीय भाषाओं में बने हुये है तो उनका हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपांतर जो किसी शासकीय अधिकारी से अनुप्रमाणित हो, को प्रस्तुत करता अनिवार्य होगा। अन्यथा आपको अयोग्य निर्धारित किया जा सकता है। (If you have any document/marksheet/experience certificate in regional language then it should be translated either is in Hindi or English and certified by Government Officer only be produced before the examination. Otherwise your candidature may be cancelled.)

4 उक्त परीक्षा सिविल यांत्रिकी के डिप्लोमा स्तर के पाठ्यकम पर आधारित होगी। परीक्षा का आयोजन अभ्याथियों के चयन हेतु किया जा रहा है किंतु उक्त परीक्षा के आधार पर किसी भी अभ्यार्थी को चयन का अधिकार प्राप्त नही होता है।

5 अंतिम चयन समस्त निर्धारित योग्यताओं व माप दण्डों के आधार पर दस्तावेजों की सत्यता परीक्षण के पश्चात ही किया जावेगा।

6 छावनी परिषद्, महू आयोजित परीक्षा के परिणाम को रोकने, निरस्त करने एवं पुर्नः परीक्षण करने आदि के समस्त अधिकार सुरक्षित रखता है।

7 यह सूचना पत्र पूर्णतः सूचनात्मक है और किसी भी प्रकार से आपको नियुक्ति का अधिकार नही देता है।

8 उपरोक्त हेतु आपको किसी भी प्रकार का कोई भी यात्रा भत्ता अथवा अन्य भत्ता देय नही होगा।

9 आपको अपने रहने ठहरने की व्यवस्था स्वंय करनी होगी। छावनी परिषद के द्वारा इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की जावेगी।

10 कार्यस्थल पर आपको प्रवेश पत्र के आधार पर ही प्रवेश दिया जावेगा। किसी भी परिस्थिति में बगेर प्रवेश पत्र के कार्यस्थल पर प्रवेश नही दिया जावेगा।

11 प्रवेश पत्र आपके हस्ताक्षर, नाम, पता एवं मोबाईल नं (यदि कोई हो तो) अंकित कर परिक्षक को मूल प्रति देना आवश्यक होगा।

राजेन्द्र पवार

मुख्य अधिशासी अधिकारी
महू छावनी परिषद्